I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

कौटिल्य के दण्डनीति सिद्धांत का आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों से तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. सरवेज अली
सहायक आचार्य, राजनीती विज्ञान विभाग, इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबन्द सहारनपुर
उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author: *डॉ. सरवेज अली

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19217515

सारांश

कौटिल्य का 'दण्डनीति' सिद्धांत प्राचीन भारत की एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है, जो राज्य, शक्ति, शासन और नीति को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखती है। यह अध्ययन कौटिल्य के दण्डनीति सिद्धांत की तुलना आधुनिक राजनीतिक विचारकों जैसे मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, और जॉन लॉक के सिद्धांतों से करता है, ताकि यह समझा जा सके कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन किस हद तक आधुनिक राजनीतिक विचारों के समकक्ष या उनसे भिन्न है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 08-01-2026
- **Accepted:** 15-02-2026
- **Published:** 25-03-2026
- **IJCRM:**5(2); 2026: 279-284
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

डॉ. सरवेज अली. कौटिल्य के दण्डनीति सिद्धांत का आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों से तुलनात्मक अध्ययन. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(2):279-284.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: कौटिल्य का दण्डनीति सिद्धांत, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांत, राज्य और सत्ता का यथार्थवाद, मैकियावेली, हॉब्स और लॉक का विश्लेषण

© 2026 डॉ. सरवेज अली. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

परिचय

राजनीतिक चिंतन मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही उसके सामाजिक संगठन, सत्ता संरचना और शासन प्रणाली से जुड़ा हुआ रहा है। यह चिंतन न केवल सत्ता के स्वरूप और उद्देश्य को समझने का माध्यम है, बल्कि यह यह भी निर्धारित करता है कि राज्य किस प्रकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो सकता है और किस प्रकार शक्ति का प्रयोग समाज के कल्याण हेतु किया जाना चाहिए। विभिन्न सभ्यताओं में इस चिंतन का स्वरूप वहां की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर निर्भर रहा है। भारतीय परंपरा में राजनीतिक चिंतन का सर्वाधिक व्यवस्थित और गहन रूप प्राचीन भारत के महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत किया गया।

कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र न केवल एक आर्थिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक समग्र और व्यावहारिक राजनीतिक ग्रंथ भी है, जिसमें राज्य के तत्वों, प्रशासनिक संरचना, कूटनीति, जासूसी, युद्धनीति तथा दण्डनीति का विस्तृत विश्लेषण मिलता है। इसमें 'दण्डनीति' को शासन का मूल स्तंभ बताया गया है — अर्थात राज्य संचालन में कानून, अनुशासन और दण्ड का निर्णायक स्थान है। कौटिल्य का यह सिद्धांत सत्ता को केवल बलप्रयोग तक सीमित नहीं करता, बल्कि उसे नीति, न्याय और धर्म से संयमित भी करता है। दूसरी ओर, आधुनिक युग के पश्चिमी राजनीतिक विचारकों जैसे निकोलो मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, और जॉन लॉक ने सत्ता और राज्य की अवधारणाओं को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। मैकियावेली ने सत्ता को व्यवहारिकता के संदर्भ में देखा और नैतिकता को गौण माना। हॉब्स ने अराजकता से मुक्ति के लिए एक सर्वशक्तिमान संप्रभु की आवश्यकता को रेखांकित किया, जबकि लॉक ने राज्य की स्थापना को व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के उद्देश्य से जोड़कर सीमित सरकार की परिकल्पना की। इन विचारकों की तुलना में कौटिल्य का दृष्टिकोण न तो केवल नैतिक है और न ही केवल यथार्थवादी; यह दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। उनके अनुसार, राजा को कठोर दण्ड के साथ-साथ नैतिक और नीति-सम्मत निर्णय लेने की भी आवश्यकता है।

- **दण्डनीति की अवधारणा एवं कौटिल्य की प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएँ**

  प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य (चाणक्य) का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्वितीय है। कौटिल्य ने न केवल एक सक्षम और व्यावहारिक शासन प्रणाली का खाका तैयार किया, बल्कि एक सशक्त और नैतिक राज्य की संकल्पना भी प्रस्तुत की। उनकी रचना अर्थशास्त्र केवल अर्थनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीति, विधि, कूटनीति और शासन-प्रशासन का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ का प्रमुख आधार 'दण्डनीति' है, जिसे शासन का मूल स्तंभ कहा गया है।
- **दण्डनीति की अवधारणा**

  'दण्डनीति' का शाब्दिक अर्थ होता है — दण्ड अर्थात शक्ति/बल और नीति अर्थात शासन की युक्तिपूर्ण प्रणाली। कौटिल्य के अनुसार, "दण्डं धर्माय निग्रहाय च" — दण्ड का प्रयोग धर्म और सामाजिक अनुशासन की स्थापना के लिए किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, यदि राज्य में दण्ड का प्रयोग नहीं होता तो समाज में अराजकता, अधर्म, और अन्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः शासक के लिए यह आवश्यक है कि वह दण्ड का प्रयोग संयम और न्याय के साथ करे, जिससे राज्य की सत्ता, कानून व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता बनी रहे। कौटिल्य की दण्डनीति केवल 'दण्ड देने' की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शासन की एक समग्र व्यवस्था है। इसमें न केवल अपराध के लिए सजा दी जाती है, बल्कि अपराध को रोकने, राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने, नीति निर्धारण, और प्रशासन के विभिन्न अंगों के सामंजस्यपूर्ण संचालन का भी प्रावधान है। दण्डनीति राजा के हाथ में एक ऐसा उपकरण है, जिससे वह राज्य में व्यवस्था, न्याय और सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।[1]

दण्डनीति राज्य की चार प्रमुख व्यवस्थाओं से जुड़ी होती है:

1. **राजनीतिक व्यवस्था:** सत्ता का केंद्रीकरण, आदेश और नियंत्रण की प्रणाली
2. **कानूनी व्यवस्था:** अपराध और दण्ड का स्पष्ट निर्धारण
3. **प्रशासनिक व्यवस्था:** न्यायालय, मंत्री, गुप्तचर, सेना का संचालन
4. **सुरक्षा व्यवस्था:** आंतरिक सुरक्षा और बाहरी शत्रुओं से रक्षा[2]

- **कौटिल्य की प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएँ**

  कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन में अनेक विशिष्ट अवधारणाएँ पाई जाती हैं, जो उनके यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण को उजागर करती हैं। ये अवधारणाएँ न केवल उस समय की राजनीतिक संरचना को दर्शाती हैं, बल्कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के लिए भी उपयोगी और प्रेरणादायक सिद्ध होती हैं।

1. राजा की केंद्रीय भूमिका: कौटिल्य के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग राजा (स्वामी) होता है। राजा को धर्म, अर्थ और काम का ज्ञाता, नीतिशास्त्र का पालन करने वाला, और प्रजा का रक्षक होना चाहिए। राजा को "प्रजापालक" और "धर्मपालक" कहा गया है। उसका मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, सुरक्षा, और समृद्धि लाना है। कौटिल्य ने राजा को शासन की धुरी माना, परंतु राजा की शक्तियाँ निरंकुश नहीं हैं। उसे नीतिशास्त्र, धर्म और प्रजा के कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य करना होता है। राजा यदि अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए तो प्रजा को विद्रोह करने का भी अधिकार है — यह विचार कौटिल्य को प्राचीन लोकतांत्रिक परंपरा से जोड़ता है।[3]

2. सप्तांग सिद्धांत: कौटिल्य ने राज्य को एक जटिल लेकिन संतुलित संस्था के रूप में देखा है, जिसमें सात अंग होते हैं:

- **स्वामी (राजा)** — नेतृत्वकर्ता
- **अमात्य (मंत्री)** — प्रशासनिक सहयोगी
- **जनपद** — राज्य की जनता और भूभाग
- **दुर्ग** — सुरक्षा के लिए किले और संरचना
- **कोष** — आर्थिक संसाधन
- **दण्ड** — सैन्य शक्ति और दण्ड देने की क्षमता
- **मित्र** — सहयोगी और मित्र राष्ट्र[4]

ये सातों अंग राज्य की स्थिरता और शक्ति के मूल स्रोत हैं। यदि इनमें से कोई भी अंग कमजोर हो जाए तो राज्य के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो सकता है।

© 2026 डॉ. सरवेज अली. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

3. राज्य की शक्ति में दण्ड की भूमिका: कौटिल्य के अनुसार, राज्य की स्थिरता और प्रभावशीलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार 'दण्ड' है। दण्ड के बिना शासन संभव नहीं। वह लिखते हैं — "दण्ड एव राजा" अर्थात यदि राजा उचित रूप से दण्ड का प्रयोग करता है, तो वह वास्तव में राजा कहलाता है। राज्य के भीतर विधि व्यवस्था बनाए रखने, कर संग्रह, अपराध नियंत्रण, और सीमा सुरक्षा जैसे कार्यों में दण्ड का संतुलित और न्यायिक उपयोग आवश्यक है। कौटिल्य ने दण्ड के दुरुपयोग के विरुद्ध चेतावनी दी है — यदि राजा अत्यधिक कठोर या अत्यधिक उदार हो तो दोनों ही स्थितियों में राज्य में असंतोष उत्पन्न होता है।[5]

4. राजनीतिक यथार्थवाद: कौटिल्य का दृष्टिकोण व्यावहारिक और यथार्थवादी है। वे राजनीति को केवल नैतिकता की कसौटी पर नहीं कसते, बल्कि वे परिस्थिति के अनुसार नीतियों में लचीलापन और कठोरता दोनों का समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि शासन में नैतिकता का स्थान होना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर व्यावहारिकता सर्वोपरि है। उन्होंने राजनयिक नीति में षड्गुण नीति (शांति, युद्ध, आसन, यान, संधि, द्वैध) और मंडल सिद्धांत जैसे रणनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत किए, जो स्पष्ट करते हैं कि कौटिल्य शक्ति संतुलन, गुप्तचर नीति, और वैश्विक कूटनीति में भी निपुण थे।[6]

- **दण्डनीति और प्रशासनिक अंगों का पारस्परिक संबंध**
  कौटिल्य की दण्डनीति केवल राजा की व्यक्तिगत शक्ति नहीं थी, बल्कि इसे कार्यान्वित करने के लिए एक पूरी प्रशासनिक संरचना विकसित की गई थी। इसमें मंत्रिपरिषद, न्यायाधीश, कर अधिकारी, गुप्तचर और सैनिक सभी सम्मिलित थे। शासन की कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती थी कि राजा अपने इन अधिकारियों के माध्यम से किस प्रकार दण्ड का न्यायोचित प्रयोग करता है। राज्य के अंदर कानून का शासन, अपराध पर नियंत्रण, सामाजिक न्याय, और जनता का कल्याण — ये सभी दण्डनीति के सही प्रयोग से ही संभव होते थे।

कौटिल्य की दण्डनीति केवल दण्ड या शक्ति का प्रयोग भर नहीं थी, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांत था, जिसमें राजा की भूमिका, नीति की दिशा, प्रशासनिक समन्वय, और धर्म की मर्यादा सबका समावेश था। दण्ड को धर्म और नीति के साथ संयमित कर उन्होंने शासन को नैतिकता और व्यावहारिकता के संतुलन पर आधारित बनाया।
उनकी प्रमुख अवधारणाएँ — राजा की केंद्रीयता, सप्तांग सिद्धांत, शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग, और व्यावहारिक राजनीतिक दृष्टिकोण — आज भी प्रासंगिक हैं। कौटिल्य की राजनीतिक दृष्टि यह सिखाती है कि सुदृढ़ शासन के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है, किंतु वह नीति, धर्म और जनहित के अनुरूप हो — यही एक आदर्श राज्य की पहचान है।[7]

आधुनिक राजनीतिक विचारकों से तुलनात्मक अध्ययन:

- **कौटिल्य और मैकियावेली: एक तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन**
  राजनीति विज्ञान में कौटिल्य और मैकियावेली दोनों ही यथार्थवादी परंपरा के अग्रणी चिंतक माने जाते हैं। यद्यपि इन दोनों विचारकों का कार्य अलग-अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों में हुआ, किंतु दोनों ने सत्ता, शासन और राजनीति को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा और प्रस्तुत किया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना लगभग ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में की, जबकि मैकियावेली ने The Prince सोलहवीं शताब्दी में इटली में लिखा। दोनों ग्रंथ सत्ता और शासक के कर्तव्यों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

राजनीतिक यथार्थवाद के पक्षधर: कौटिल्य और मैकियावेली दोनों ही राजनीतिक यथार्थवाद के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार राजनीति में नैतिक आदर्शों की बजाय व्यावहारिक निर्णय अधिक आवश्यक होते हैं। वे मानते हैं कि शासक को अपने राज्य की सुरक्षा, विस्तार और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार कठोर निर्णय लेने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार, "राज्य ही सर्वोपरि है" और राजा का कर्तव्य है कि वह दण्डनीति द्वारा शासन को सुचारु रूप से चलाए। वहीं मैकियावेली भी मानते हैं कि "राज्यहित सर्वोपरि है," और शासक को कभी-कभी नैतिकता को त्यागकर सत्ता की रक्षा करनी चाहिए।[8]

राज्य और सत्ता का व्यवहारिक दृष्टिकोण: कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैकियावेली की The Prince — दोनों ग्रंथों में सत्ता के प्रयोग, संरक्षण और विस्तार पर बल दिया गया है। वे आदर्शवाद की बजाय यथार्थ की बात करते हैं।कौटिल्य के अनुसार, एक शासक को नीतिशास्त्र, गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य शक्ति और राजनयिक कौशल से राज्य को संचालित करना चाहिए। उन्होंने सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, और षड्गुण नीति जैसे राजनीतिक तंत्रों का विस्तृत विश्लेषण किया। मैकियावेली का "शेर और लोमड़ी" का सिद्धांत बताता है कि एक सफल शासक को बल और चतुराई दोनों का प्रयोग करना चाहिए।[9]

राजनीति और नैतिकता का संबंध: यद्यपि दोनों विचारक नैतिकता को प्राथमिक स्थान नहीं देते, परंतु उनके दृष्टिकोण में एक मौलिक अंतर है। कौटिल्य राजनीति में धर्म, नीति और व्यावहारिकता का संतुलन आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार राजा को धर्म (धार्मिक नियमों) के अंतर्गत रहकर शासन करना चाहिए। वे "धर्म, अर्थ और काम" की त्रिवेणी को शासन का मूल मानते हैं। इसके विपरीत, मैकियावेली नैतिकता को सत्ता से अलग करते हैं। उनके अनुसार, एक सफल शासक को केवल परिणाम की चिंता करनी चाहिए — चाहे उसके लिए उसे नैतिक मूल्यों का उल्लंघन क्यों न करना पड़े।[10]
उदाहरणतः, मैकियावेली कहते हैं कि "यदि शासक को धोखा देना पड़े, झूठ बोलना पड़े या बल प्रयोग करना पड़े, तो भी राज्यहित में यह उचित है।" कौटिल्य भी रणनीतिक छल की अनुमति धर्म और प्रजा के कल्याण की सीमा में रहकरदेते हैं ।

प्रजा की भूमिका: कौटिल्य प्रजा को राज्य की आत्मा मानते हैं। उनका मानना है कि राजा को प्रजाहित में कार्य करना चाहिए और यदि वह प्रजा का शोषण करता है तो उसके विरुद्ध विद्रोह भी न्यायोचित है।
मैकियावेली की दृष्टि में प्रजा केवल सत्ता बनाए रखने का माध्यम है, न

© 2026 डॉ. सरवेज अली. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

कि उसका केंद्र। वह शासक की स्थिरता और शक्ति के लिए प्रजा को नियंत्रित रखने की बात करते हैं। कौटिल्य और मैकियावेली दोनों ही सत्ता के यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित करते हैं, परंतु दोनों की दृष्टि में अंतर है। कौटिल्य जहाँ नैतिकता और व्यावहारिकता में संतुलन साधते हैं, वहीं मैकियावेली नैतिकता को राजनीति से पूरी तरह पृथक कर देते हैं। कौटिल्य का दृष्टिकोण अधिक समग्र और संतुलित है, जबकि मैकियावेली का दृष्टिकोण सत्ता-केन्द्रित और कठोर है। दोनों की राजनीतिक अवधारणाएँ आज भी प्रासंगिक हैं, किंतु कौटिल्य का चिंतन भारतीय दर्शन और नीति के अनुरूप अधिक संतुलित एवं लोककल्याणकारी दिखाई देता है।[11]

- **कौटिल्य और थॉमस हॉब्स: राज्य की अवधारणा का तुलनात्मक अध्ययन**
  राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में कौटिल्य और थॉमस हॉब्स दोनों ही ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राज्य की आवश्यकता, सत्ता का केंद्रीकरण, और राजनीतिक अनुशासन पर अत्यंत गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया। यद्यपि इन दोनों का कार्य भिन्न सभ्यता, युग और पृष्ठभूमि में हुआ — कौटिल्य ने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में अर्थशास्त्र की रचना की, जबकि हॉब्स ने 17वीं शताब्दी इंग्लैंड में Leviathan लिखी — फिर भी इनके राजनीतिक दर्शन में कई बुनियादी समानताएँ और कुछ गहरे अंतरों को देखा जा सकता है।

राज्य की आवश्यकता और अराजकता का भय: थॉमस हॉब्स के अनुसार, मानव प्रकृति में स्वार्थ और संघर्ष की प्रवृत्ति होती है। Leviathan में वह लिखते हैं कि बिना सरकार के "मनुष्य का जीवन नष्टप्राय, एकाकी, दरिद्र, जघन्य और संक्षिप्त" होता है। हॉब्स के लिए राज्य एक ऐसी सर्वशक्तिमान संस्था है जो अराजकता को नियंत्रित करती है और समाज को स्थायित्व देती है। कौटिल्य भी यही मानते हैं कि राज्य का अभाव सामाजिक विघटन और अराजकता को जन्म देता है। उन्होंने कहा — "अनायस्यम् धर्मस्य व्यसनम् ", अर्थात यदि राजा (या शासन) न हो तो धर्म का नाश निश्चित है। उनके अनुसार, शासनहीन समाज में "मत्स्यन्याय" (बड़े मछली द्वारा छोटी को निगलना) जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहाँ बलवान निर्बल को शोषित करता है। इस प्रकार दोनों विचारकों का यह स्पष्ट मत है कि राज्य का अस्तित्व समाज की शांति और व्यवस्था के लिए अनिवार्य है।12

सत्ता का केंद्रीकरण: हॉब्स का मानना था कि राज्य की शक्ति संप्रभु (sovereign) में केंद्रित होनी चाहिए, और यह शक्ति निरंकुश हो सकती है, क्योंकि कोई भी विभाजित या कमजोर सत्ता अराजकता को रोकने में असमर्थ होगी। कौटिल्य की दृष्टि में भी सत्ता का केंद्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने राजा को राज्य का मूल स्तंभ माना, जिसके पास विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। राजा के निर्णय अंतिम होते हैं, और उसे 'दण्ड' का अधिकार दिया गया है, जिससे वह अपराध और अराजकता पर नियंत्रण रख सके। हालाँकि, कौटिल्य राजा को धर्म और नीति से बंधा मानते हैं, जबकि हॉब्स का संप्रभु सिविल लॉ के अधीन नहीं होता। इस प्रकार सत्ता का केंद्रीकरण दोनों में समान है, पर कौटिल्य की व्यवस्था में नैतिक उत्तरदायित्व भी निहित है।[13]

राज्य की उत्पत्ति: परंपरा बनाम अनुबंध: हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक अनुबंध (Social Contract) के माध्यम से हुई, जहाँ लोग अपनी स्वतंत्रता को एक सर्वोच्च सत्ता के हाथ में सौंप देते हैं ताकि सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। यह विचार आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत की नींव है। कौटिल्य का राज्य परंपरा, धर्म और शास्त्रों पर आधारित है। उन्होंने राजा की उत्पत्ति के पीछे दैवी और सामाजिक दोनों तर्क दिए — राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। राज्य की स्थापना एक प्राकृतिक व्यवस्था मानी गई है जो वेद, स्मृति और परंपरा से संचालित होती है। इस प्रकार, हॉब्स का राज्य अनुबंध और व्यक्ति-केंद्रित है, जबकि कौटिल्य का राज्य धर्म-नीति और सामाजिक कर्तव्यों पर आधारित है।[14]

प्रजा और शासन का संबंध: हॉब्स की व्यवस्था में प्रजा को राज्य के अधीन माना गया है और उसके अधिकार सीमित हैं। संप्रभु का निर्णय सर्वोपरि होता है और उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। कौटिल्य की दृष्टि में राजा प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता है। यदि राजा अन्यायी हो जाए, तो उसे हटाया भी जा सकता है। प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए कौटिल्य ने राजा को धर्म और नीति का अनुयायी बनने की सलाह दी। कौटिल्य और थॉमस हॉब्स दोनों ही राज्य की अपरिहार्यता, सत्ता के केंद्रीकरण, और अराजकता के विरोध के पक्षधर हैं। दोनों मानते हैं कि राज्य के बिना समाज में शांति और न्याय संभव नहीं। परंतु इनके दृष्टिकोणों में मौलिक अंतर है — हॉब्स का राज्य व्यक्तिवादी और संविदानुसार है, जबकि कौटिल्य का राज्य धार्मिक, नैतिक और परंपरागत है। जहाँ हॉब्स की दृष्टि आधुनिक पश्चिमी दर्शन को प्रभावित करती है, वहीं कौटिल्य का दृष्टिकोण एक संतुलित और नैतिक शासन की भारतीय अवधारणा को दर्शाता है। दोनों की विचारधारा आज भी शासन-प्रशासन के सिद्धांतों की समझ में योगदान देती है।[15]

- **कौटिल्य और जॉन लॉक: राज्य, स्वतंत्रता और शासन के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन:**
  राजनीतिक दर्शन के इतिहास में कौटिल्य (चाणक्य) और जॉन लॉक दो ऐसे विचारक हैं, जिनकी विचारधाराओं ने क्रमशः प्राचीन भारतीय और आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक परंपरा को गहराई से प्रभावित किया। कौटिल्य की अर्थशास्त्र और लॉक की टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट (Two Treatises of Government) दोनों ही ग्रंथ सत्ता, राज्य और नागरिक अधिकारों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यद्यपि दोनों का युग, भूगोल और संस्कृति भिन्न है, परंतु उनके चिंतन में कुछ समानताएँ और स्पष्ट भिन्नताएँ दृष्टिगोचर होती हैं।[16]

राज्य का उद्देश्य और कार्य: जॉन लॉक के अनुसार, राज्य का मुख्य उद्देश्य है — नागरिकों के जीवन (Life), स्वतंत्रता (Liberty) और संपत्ति (Property) की रक्षा करना। उनका मानना था कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था (State of Nature) में स्वतंत्र और समान था, लेकिन सुरक्षा की गारंटी नहीं होने के कारण लोगों ने एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से राज्य की स्थापना की। इस प्रकार, राज्य नागरिकों की सेवा के लिए अस्तित्व में आया।

© 2026 डॉ. सरवेज अली. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

कौटिल्य का दृष्टिकोण भी राज्य को जनकल्याण का उपकरण मानता है। उनके अनुसार, राज्य का उद्देश्य प्रजा की रक्षा, धर्म की स्थापना, व्यवस्था बनाए रखना और संपत्ति तथा जीवन की सुरक्षा करना है। अर्थशास्त्र में राजा को आदेश दिया गया है कि वह प्रजा को पुत्रवत माने और उसकी रक्षा करे। इस प्रकार दोनों विचारकों में यह समानता स्पष्ट है कि राज्य का मुख्य कार्य जनता के हितों की रक्षा करना है।

स्वतंत्रता बनाम शासन की सर्वोच्चता

यहाँ एक प्रमुख भिन्नता देखने को मिलती है। लॉक का राजनीतिक चिंतन व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। वह मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं — और यह राज्य का कर्तव्य है कि इन अधिकारों की रक्षा करे। यदि राज्य इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो जनता को उसे हटाने का अधिकार है।

कौटिल्य, दूसरी ओर, राज्य व्यवस्था को केंद्रीकृत मानते हैं, जहाँ राजा सर्वोच्च होता है। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन साथ ही उसे धर्म, नीति और शास्त्रों के अधीन रहकर कार्य करने की अपेक्षा की गई है। कौटिल्य के अनुसार, राजा प्रजा के लिए उत्तरदायी तो है, लेकिन उसका स्थान राज्य में सर्वोच्च है। इस प्रकार, जहाँ लॉक का चिंतन व्यक्ति-केंद्रित है, वहीं कौटिल्य का दृष्टिकोण राजा-केंद्रित, किंतु नैतिक प्रतिबद्धताओं से बंधा हुआ है।[17]

राजा और कानून/धर्म का संबंध: लॉक की परिभाषा में शासक कानून का सेवक (Servant of Law) है। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि राजा को भी उन्हीं कानूनों का पालन करना चाहिए जो सभी नागरिकों के लिए हैं। उसके अनुसार, कानून राज्य से ऊपर है, और कोई भी शासक कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कौटिल्य भी शासक को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देते। उन्होंने लिखा है — "राजा धर्म के अधीन है"। राजा को धर्म (नैतिकता), अर्थ (व्यवहारिकता) और नीति (राजनीतिक यथार्थ) का संतुलन बनाकर शासन करना चाहिए। यदि राजा अधर्मी हो, अन्यायी हो, तो उसके प्रति जनता में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। कौटिल्य ने धर्म की व्याख्या वैदिक परंपरा और सामाजिक नैतिकता के अनुसार की है।18 इस तुलना से स्पष्ट है कि दोनों विचारक शासक को पूर्ण स्वेच्छाचारी नहीं मानते, बल्कि उसे किसी उच्च नैतिक या विधिक व्यवस्था के अधीन मानते हैं — भले ही वह कानून हो (लॉक) या धर्म (कौटिल्य)।

संपत्ति और सामाजिक अनुबंध: लॉक का चिंतन पूंजीवादी मूल्यों से प्रेरित है। उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मानव के बुनियादी प्राकृतिक अधिकारों में सम्मिलित किया। उनके अनुसार, राज्य केवल तब तक वैध है जब तक वह नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करता है। कौटिल्य भी संपत्ति की रक्षा को शासन का एक प्रमुख दायित्व मानते हैं। अर्थशास्त्र में उन्होंने कर-व्यवस्था, अपराध पर दंड, न्यायिक निर्णयों आदि के माध्यम से संपत्ति की रक्षा और न्याय की स्थापना पर बल दिया। कौटिल्य और जॉन लॉक, दोनों ही विचारकों का राजनीतिक चिंतन जनता के कल्याण और राज्य की उपयोगिता पर आधारित है। दोनों ने शासक को उत्तरदायी माना, लेकिन उनके राज्य की संरचना, उद्देश्यों और प्राथमिकताओं में अंतर है। लॉक का चिंतन स्वतंत्रता और कानून आधारित है, जबकि कौटिल्य का चिंतन राजा की नैतिक भूमिका और धर्म आधारित शासन पर टिका है।[19]

इन दोनों विचारकों की तुलनात्मक समझ से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान का विकास विभिन्न संस्कृतियों और ऐतिहासिक स्थितियों के अनुरूप हुआ है, लेकिन अंततः सभी का उद्देश्य सुव्यवस्थित, न्यायपूर्ण और उत्तरदायी शासन की स्थापना ही है।

निष्कर्ष

कौटिल्य का दण्डनीति सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन की एक परिपक्व और यथार्थवादी अभिव्यक्ति है, जो राज्य, सत्ता और शासन की व्याख्या में धर्म, नीति और व्यावहारिकता का संतुलन प्रस्तुत करता है। उनके विचार केवल दंड अथवा शक्ति के प्रयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वह शासक की नैतिक जिम्मेदारी, प्रजा के कल्याण, और राज्य की समग्र स्थिरता पर भी बल देते हैं। यही विशेषता कौटिल्य को केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और दूरदर्शी राजनयिक भी बनाती है।

मैकियावेली, हॉब्स और लॉक जैसे आधुनिक राजनीतिक विचारकों से तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य का दृष्टिकोण कई स्तरों पर इन पश्चिमी विचारों से मेल खाता है — जैसे सत्ता का केंद्रीकरण, राज्य की सुरक्षा, और जनकल्याण की अवधारणा। लेकिन जहाँ मैकियावेली नैतिकता से परे सत्ता को प्राथमिकता देते हैं और हॉब्स राज्य को अनुशासन और भय से नियंत्रित करने की बात करते हैं, वहीं कौटिल्य अपने शासन सिद्धांत में धर्म और नीति को मूलाधार मानते हैं।

जॉन लॉक की तरह कौटिल्य भी राज्य को जनहित का माध्यम मानते हैं, परन्तु उनकी अवधारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता से अधिक सामूहिक व्यवस्था और नैतिक अनुशासन पर बल है। इस प्रकार, कौटिल्य का दण्डनीति सिद्धांत एक ऐसा समन्वयशील दर्शन है, जिसमें शक्ति का प्रयोग विवेक, धर्म और नीति के अधीन होकर होता है — जो आज भी सुशासन और उत्तरदायी राजनीति के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता

संदर्भ सूची

1. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, पुस्तक I, अध्याय 4 – "दण्डं धर्माय निग्रहाय च", संपादक: आर. पी. कांगले, मोटिलाल बनारसीदास, 1960, पृष्ठ 34।
2. आर. शमशास्त्री, कौटिल्य अर्थशास्त्र (हिंदी अनुवाद), मैकमिलन इंडिया, 1915, पृष्ठ 12–15।
3. एल. एन. रंगराजन, कौटिल्य: द अर्थशास्त्र, पेंगुइन बुक्स, 1992, पृष्ठ 150–153।
4. निकोलो मैकियावेली, द प्रिंस, अनुवादक: जॉर्ज बुल, पेंगुइन क्लासिक्स, 2003, पृष्ठ 54–58।
5. जॉर्ज सेबाइन, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ऑक्सफोर्ड एंड आईबीएच पब्लिशिंग, 1973, पृष्ठ 361–363।
6. वी. आर. मेहता, भारतीय राजनीतिक चिंतन की आधारशिला, मनोहर पब्लिशर्स, 1992, पृष्ठ 87–90।
7. थॉमस हॉब्स, लेवायथन, संपादक: रिचर्ड टक, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1996, पृष्ठ 85–90।
8. सुभ्रत मुखर्जी एवं सुशीला रामास्वामी, राजनीतिक विचार का इतिहास: प्लेटो से मार्क्स तक, पीएचआई लर्निंग, 2011, पृष्ठ 207–212।

© 2026 डॉ. सरवेज अली. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

9. जॉन लॉक, टू ट्रीटाइसेज़ ऑफ गवर्नमेंट, संपादक: पीटर लैस्लेट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1988, पृष्ठ 270–275।
10. राम शरण शर्मा, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, मोटिलाल बनारसीदास, 1991, पृष्ठ 195–198।
11. डी. एन. झा, प्राचीन भारत: एक ऐतिहासिक रूपरेखा, मनोहर पब्लिकेशन, 2004, पृष्ठ 102–106।
12. हॉब्स, थॉमस. लेवायथन. लंदन: एंड्रयू क्रॉकेट पब्लिशर्स, 1651, पृ. 89-95.
13. कौटिल्य. अर्थशास्त्र, अनुवाद: राधाकमल मुखर्जी. दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, 2015, पृ. 115-118.
14. वरुण मिश्रा. "कौटिल्य और आधुनिक राजनीतिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन," भारतीय राजनीति शोध पत्रिका, खंड 12, अंक 2, 2020, पृ. 134-137.
15. श्रीवास्तव, अशोक. प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन. वाराणसी: गंगा पब्लिशिंग हाउस, 2019, पृ. 67-71.
16. शर्मा, प्रियंका. "कौटिल्य और जॉन लॉक: तुलनात्मक विश्लेषण," राजनीति विज्ञान विमर्श, खंड 5, अंक 1, 2021, पृ. 45-50.
17. लॉक, जॉन. टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, अनुवाद: आनंद कुमार. दिल्ली: क्लासिक पब्लिशिंग, 2008, पृ. 120-124.
18. पांडेय, सुधीर. भारतीय राजनैतिक परंपरा. इलाहाबाद: विद्या भवन प्रकाशन, 2017, पृ. 143-148.
19. अग्रवाल, महेश. "राज्य और संपत्ति का सिद्धांत: कौटिल्य बनाम जॉन लॉक," आधुनिक राजनीति पत्रिका, खंड 8, अंक 3, 2022, पृ. 91-95.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Corresponding Author

डॉ. सरवेज अली राजनीतिशास्त्र के विद्वान एवं इस्लामिया डिग्री कॉलेज, देवबंद (सहारनपुर) में सहायक आचार्य हैं। वे शिक्षण, शोध और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के विश्लेषण में सक्रिय हैं। उनका कार्य विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर केंद्रित है।

© 2026 डॉ. सरवेज अली. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/